आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 67/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एस.बी.एफ.सी. फाईनेन्स प्रा. लि.(पूर्व नाम स्मॉल बिजनेस फिनक्रेडिट इण्डिया प्रा. लि.) शाखा कार्यालय– प्रथम तल, राजधानी ग्लास हाऊस के ऊपर, मेट्रो पिलर नं. 63 के सामने, कामा हाऊस एण्ड भौमिया जी का मंदिर, ईएसआईसी हॉस्पिटल, अजमेर रोड़, सोडाला, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स वेलकम मेडिफार्मा,
   पताः– प्लॉट नं. 64, दुकान नं. 1, मिलाप नगर, टोंक रोड़, जयपुर
   एवं कार्यालय नं. बी, बी–1 एण्ड बी–डी–1,बेसमेन्ट फ्लोर, प्लॉट नं. सी–77 एण्ड प्लॉट नं. सी/1/77, श्याम अपार्टमेन्ट्स, सी–स्कीम, सरोजनी मार्ग, जयपुर
   एवं प्लॉट नं. 14 एण्ड प्लॉट नं. 16, सूरजपोल गेट गृह विकास सहकारी समिति लिमिटेड, ज्योति नगर, कानोता हारदी रोड़, जयपुर।
2. मैसर्स चित्तौड़ा एण्ड कम्पनी,
   पताः– प्लॉट नं. सी–77 बीडी, श्याम अपार्टमेन्ट्स, सी–स्कीम, सरोजनी मार्ग, जयपुर
   एवं कार्यालय नं. बी, बी–1 एण्ड बी–डी–1,बेसमेन्ट फ्लोर, प्लॉट नं. सी–77 एण्ड प्लॉट नं. सी/1/77, श्याम अपार्टमेन्ट्स, सी–स्कीम, सरोजनी मार्ग, जयपुर
   एवं प्लॉट नं. 14 एण्ड प्लॉट नं. 16, सूरजपोल गेट गृह विकास सहकारी समिति लिमिटेड, ज्योति नगर, कानोता हारदी रोड़, जयपुर
   एवं ईस्ट एण्ड साउथ कॉर्नर, दुकान नं. 1, प्लॉट नं. 64, स्कीम मिलाप नगर, टोंक रोड़, जयपुर।
3. बालकृष्णा चित्तौड़ा,
   पताः– 15, महावीर नगर द्वितीय, दुर्गापुरा, जयपुर
   एवं कार्यालय नं. बी, बी–1 एण्ड बी–डी–1,बेसमेन्ट फ्लोर, प्लॉट नं. सी–77 एण्ड प्लॉट नं. सी/1/77, श्याम अपार्टमेन्ट्स, सी–स्कीम, सरोजनी मार्ग, जयपुर
   एवं प्लॉट नं. 14 एण्ड प्लॉट नं. 16, सूरजपोल गेट गृह विकास सहकारी समिति लिमिटेड, ज्योति नगर, कानोता हारदी रोड़, जयपुर
   एवं ईस्ट एण्ड साउथ कॉर्नर, दुकान नं. 1, प्लॉट नं. 64, स्कीम मिलाप नगर, टोंक रोड़, जयपुर।
4. कृष्ण गोपाल माहेश्वरी,
   पताः– प्लॉट नं. 64, दुकान नं. 1, मिलाप नगर, टोंक रोड़, जयपुर
   एवं कार्यालय नं. बी, बी–1 एण्ड बी–डी–1,बेसमेन्ट फ्लोर, प्लॉट नं. सी–77 एण्ड प्लॉट नं. सी/1/77, श्याम अपार्टमेन्ट्स, सी–स्कीम, सरोजनी मार्ग, जयपुर
   एवं प्लॉट नं. 14 एण्ड प्लॉट नं. 16, सूरजपोल गेट गृह विकास सहकारी समिति लिमिटेड, ज्योति नगर, कानोता हारदी रोड़, जयपुर।
5. राकेश चित्तौड़ा,
6. प्रभा चित्तौड़ा,

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

. जगदीश चन्द्र चित्तौड़ा,

पताः— 15, महावीर नगर द्वितीय, दुर्गापुरा, जयपुर

एवं कार्यालय नं. बी, बी—1 एण्ड बी—डी—1,बेसमेन्ट फ्लोर, प्लॉट नं. सी—77 एण्ड प्लॉट नं. सी/1/77, श्याम अपार्टमेन्ट्स, सी—स्कीम, सरोजनी मार्ग, जयपुर

एवं प्लॉट नं. 14 एण्ड प्लॉट नं. 16, सूरजपोल गेट गृह विकास सहकारी समिति लिमिटेड, ज्योति नगर, कानोता हारदी रोड़, जयपुर

एवं ईस्ट एण्ड साउथ कॉर्नर, दुकान नं. 1, प्लॉट नं. 64, स्कीम मिलाप नगर, टोंक रोड़, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित

1. श्री मुराद बेग, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

दिनांक 12.03.2024

आदेश

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी 1. श्री जगदीश चन्द्र चित्तौड़ा के स्वामित्त्व की संपत्ति प्लॉट नं. 14, सूरजपोल गेट गृह विकास सहकारी समिति लिमिटेड, ज्योति नगर, कानोता हारदी रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 150 वर्गगज, 2. श्री बालकृष्ण चित्तौड़ा के स्वामित्त्व की संपत्ति प्लॉट नं. 16, सूरजपोल गेट गृह विकास सहकारी समिति लिमिटेड, ज्योति नगर, कानोता हारदी रोड़, जयपुर , क्षेत्रफल 134.3 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 29.09.2018 को राशि 01,12,00,000/— रूपये, दिनांक 15.10.2020 को राशि 21,80,000/— रूपये, दिनांक 02.06.2021 को राशि 02,76,084 कुल राशि 01,36,56,084/— रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.12.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 01,36,56,084/—रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

01,40,46,030/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 27.12.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी   अप्रार्थी 1. श्री जगदीश चन्द्र चित्तौड़ा के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 14, सूरजपोल गेट गृह विकास सहकारी समिति लिमिटेड, ज्योति नगर, कानोता हारदी रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 150 वर्गगज, 2. श्री बालकृष्ण चित्तौड़ा के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 16, सूरजपोल गेट गृह विकास सहकारी समिति लिमिटेड, ज्योति नगर, कानोता हारदी रोड, जयपुर , क्षेत्रफल 134.3 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 12.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)